फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परबतसिंह वगैरह बनाम केशरसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा .....225..... मुकदमा नंबर.....50.....सन.....2020.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.11.2020	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 64/2020 बउनवान परबतसिंह बनाम खेमा के कायम मुकाम में पारित आदेश दिनांक 19.10.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर वकील अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नून के खसरा नंबर 521 रकबा 0.2600 हैक्टेर किस्म गैर मुमकिन वाडा के संबध मे प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित कर आगामी पेशी नियत की गई है, अगर रेस्पोडेन्टगण को वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो वे आगामी पेशी तक अपीलांटगण को उसके कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल कर देगे, जिससे इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व प्रार्थना पत्र को दर्ज कर केवल मात्र अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित किया है न कि स्थगन के संबध में किसी प्रकार का आदेश पारित किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त अपील बिना किसी सक्षम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो कि पोषणीय नहीं है। किन्तु प्रकरण में यह भी निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी के संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन है, अगर उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति में किसी प्रकार का फेरबदल होता है तो इससे वाद बाहुल्यता बढने की आशंका है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सक्षम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं होने के कारण पोषणीय न होने से खारिज की जाती है। किन्तु न्यायहित में प्रकरण में परिस्थितियो को देखते हुए प्रकरण में यह निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्ष हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नून के खसरा नंबर 521 रकबा 0.2600 हैक्टेर किस्म गैर मुमकिन वाडा पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	